विषय :—तदर्थ नियुक्तियां/पदोन्नतियां बारे हिदायतें ।

क्या सभी वित्तायुक्त एवं सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

2. हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 6317-/1जी0एस0-70/21913, दिनांक 20-8-1970 द्वारा जारी की गई हिदायतों में यह कहा गया था कि सीधी भर्ती के कोटे की रिक्ति के विरुद्ध तदर्थ नियुक्ति के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर पूर्ण रुप से भरा हुआ आवश्यक मांग-पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा जाये तथा छः मास के पश्चात आयोग की अनुमति के बिना तदर्थ नियुक्ति को जारी न रखा जाए । इन हिदायतों में यह भी कहा गया था कि तदर्थ नियुक्तियों के बारे में विभागाध्यक्ष निर्धारित प्रोफार्मा में प्रत्येक मास की 7 तारीख तक अपने प्रशासकीय सचिवों की एक सूची भेजेंगे तथा प्रशासकीय विभागों की यह जिम्मेवारी होगी कि वे सूची की जांच पड़ताल करें तथा सुनिश्चित करें कि हिदायतों की अनुपालना में कोई अनियमितता न हो । इन हिदायतों को समय-समय पर कई बार दोहराया भी जा चुका है ।

हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 699-I जी0एस0 I-74/7611, दिनांक 2/5-4-1974 में यह अवलोकन किया गया कि विभाग सीधी भर्ती के कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ/अस्थाई आधार पर विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नतियां करते रहते हैं । तथा आयोग को ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए कोई मांग-पत्र नहीं भेजा जाता जिससे काडर ठीक नहीं रह पाता है और बाद में उसे निहित हितों के कारण नियमित करना कठिन हो जाता है । इस स्थिति को रोकने के लिए उक्त हिदायतों द्वारा सरकार का यह निर्णय सूचित किया गया था कि भविष्य में सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध विभागीय कर्मचारियों की तदर्थ/अस्थाई आधार पर पदोन्नतियां तब ही की जायें जब उन्हें उस इस कोटे को भरने के लिए पहले ही उचित पग उटा लिए हों अर्थात पदों की सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए पूर्ण रुप से भरा हुआ आवश्यक मांग-पत्र आयोग को भेज दिया गया हो । इसके अलावा सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध जो पदोन्नतियां तदर्थ तौर पर की जाती हैं वे छः मास से अधिक समय के लिए तभी जारी की जा सकेंगी जब हरियाणा लोक सेवा आयोग की अनुमति पहले प्राप्त कर ली जायेगी ।

2. हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा सरकार के ध्यान में पाया गया है कि विभागों द्वारा उक्त हिदायतों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा सीधी भर्ती के कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां आयोग की अनुमति के बिना कई वर्षों से चालू रखी जा रही हैं और निहित हितों के कारण आयोग को ऐसी रिक्तियों को भरने हेतू कोई मांग-पत्र नहीं भेजा जा रहा है । अतः इस स्थिति के दृष्टिगत विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि भविष्य में सीधी भर्ती के कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध तब तक न तो रोजगार कार्यालय आदि के माध्यम से तदर्थ नियुक्तियां और न ही विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की तदर्थ पदोन्नतियां की जायें जब तक कि आयोग को इन रिक्तियों को भरने हेतू पूर्ण रुप से भरा हुआ आवश्यक मांग-पत्र न भेज दिया जाये और आयोग से मांग-पत्र की पावती प्राप्त न कर ली जाये तथा उन्हें आयोग की अनुमति के बिना छः मास से आगे जारी न रखा जाए । यह भी निर्णय लिया गया है कि सीधी भर्ती के कोटे की नई रिक्तियां भरने के लिए वर्ष में एक बार आयोग को आवश्यक मांग-पत्र अवश्य मांग-पत्र अवश्य भेजा जाए । उक्त हिदायतों को कृपया उपरोक्त वर्णित हद तक संशोधित समझा जाये । विभागाध्यक्षों द्वारा प्रशासकीय सचिवों को भेजी जाने वाली सूचना के लिए संशोधित प्रोफार्मा की एक प्रति अनुबन्ध "क" पर संलग्न की जाती है ।

3. हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा सरकार के ध्यान में यह भी लाया गया है कि विभागों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के पदोन्नति के मामले निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्ण सूचना के साथ आयोग को समय पर नहीं भेजे जाते और आमतौर पर उनका गोपनीय रिकार्ड भी अधूरा भेजा जाता है जिसके कारण मामलों को निपटाने में काफी देरी हो जाती है । सरकार ने आयोग की इस अवलोचना को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया है कि भविष्य में

REVISED PROFORMA

Sr. No.	Name of the post	Date of acknowledgement of the requisition by HPSC.	Date of making adhoc appointment/ promotion	Date of receipt of recommendations of Commission for regular appointment	Date of termination/reversion of adhoc appointment/ promotion	Whether approval of HPSC obtained for extension of adhoc appointment/promotion beyond six months	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8